महत्वपूर्ण

संख्या-01/2016/58/31-2016-43/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, **लखनऊः** **दिनांकः 08 जनवरी, 2016**

विषयः- उ0प्र0 के विकास हेतु शासन का एजेण्डा, वर्ष 2016-17

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में विकास के एजेण्डा को प्रदेश की जनता के सामने रखती है एवं विकास के एजेण्डा को क्रियान्वित करने के लिए पूरे वर्ष समयबद्ध रूप से कार्य किया जाता है। गत वर्ष भी उ0प्र0 के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 निर्धारित किया गया था जिन पर सुनियोजित तरीके से कार्य करने के फलस्वरूप उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा विकास एजेण्डा में शामिल कई बिन्दुओं पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

इसी अनुक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करते हुए अल्प अवधि में इसका अधिकाधिक लाभ जनता तक पहुँचाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता वाले सूत्रों को चिन्हित करते हुए **"उ0प्र0 के विकास हेतु शासन का एजेण्डा, वर्ष 2016-17"** निर्धारित कर संलग्न किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुल 173 एजेण्डा बिन्दु समाहित हैं, ताकि वित्तीय वर्ष 2016-17 प्रारम्भ होते ही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

इसका कार्यान्वयन शुरू हो जाए और इस हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में एजेण्डा बिन्दुओं की पूर्ति हेतु आवश्यक बजट प्राविधान अवश्य करा लिया जाए।

2. प्रस्तावित एजेण्डा बिन्दुओं में एक ओर जहॉ प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाए जाने के साथ-साथ भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करके सही ढंग से लागू किया जाना सम्मिलित है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष लागू की गयी विभिन्न नीतियों का कार्यान्वयन, महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण हेतु रणनीति, निजी निवेश अर्जित करने का प्रयास, जन सामान्य के लिए विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, कृषि, ऊर्जा, मानव संसाधन विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास एवं नगरीय गरीबी उन्मूलन एवं ग्राम्य विकास सेक्टरों के विशिष्ट कार्य बिन्दुओं, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम तथा प्रशासन तंत्र को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाए जाने के लिए अभिनव प्रयास एवं नई योजनाएं भी सम्मिलित हैं।

3. उल्लेखनीय है कि विकास एजेण्डा वर्ष 2016-17 समस्त विकास सम्बन्धी गतिविधियों का केन्द्र होगा। विकास एजेण्डा के कार्यान्वयन का मासिक अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा किया जाएगा तथा यथासमय इस एजेण्डा का त्रैमासिक अनुश्रवण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इन एजेण्डा बिन्दुओं पर विभाग द्वारा अर्जित की गयी प्रगति को सम्बन्धित विभाग की उपलब्धियों के रूप में भी आंकलित किया जाएगा।

4. विकास एजेण्डा वर्ष 2016-17 हेतु अपने विभाग के चिन्हित एजेण्डा बिन्दुओं पर वार्षिक मात्रात्मक लक्ष्य दिनांक 15 मार्च, 2016 तक प्रत्येक दशा में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5. आपसे अपेक्षा है कि अपने विभाग के समस्त एजेण्डा बिन्दुओं के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में आपके द्वारा ससमय आवश्यक प्राविधान सुनिश्चित किए जाएगें।

6. आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त एजेण्डा में अपने विभाग से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य बिन्दु के माइल स्टोन्स व उनकी पूर्ति हेतु समय सारिणी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं अनुश्रवण हेतु प्रारूप विकसित करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रारम्भ कर दें, ताकि इन बिन्दुओं का माह अप्रैल, 2016 से ही नियमित अनुश्रवण प्रारम्भ किया जा सके। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त एजेण्डा को अपनी विभागीय समीक्षा में शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए उसके उद्देश्यों की पूर्ति समय-सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाए।

संलग्नक- उत्तर प्रदेश के विकास हेतु
शासन का एजेण्डा, वर्ष 2016-17

भवदीय,
ह०/-
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-01/2016/58(1)/31-2016-43/2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
ह०/-
(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या-01/2016/58(2)/31-2016-43/2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह०/-

(आलोक कुमार)

सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

उ0प्र0 के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2016-17

सूत्र सं.	सूत्र का विवरण	कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी विभाग
1	प्रदेश में विकास हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व के रूप में अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन जुटाया जाना।	वित्त
2	समस्त केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।	समस्त विभाग
कृषि क्षेत्र		
3	क- प्रजाति प्रतिस्थापन दर में वृद्धि किया जाना। ख- कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि यंत्रीकरण के लिए मैकेनाइजेशन का प्रभावी कार्यान्वयन।	कृषि
4	सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्पों की स्थापना किया जाना।	कृषि
5	किसान पारदर्शी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा बीज एवं कृषि यंत्रों का वितरण डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाना।	कृषि
6	बुन्देलखण्ड में खरीफ फसल में आच्छादन बढ़ाया जाना।	कृषि
7	प्रदेश में तिलहन एवं दलहन फसलों को बढ़ावा दिया जाना।	कृषि
8	प्रदेश में कृषि स्नातकों को स्वरोजगार में स्थापित करने हेतु एग्रीजंक्शन योजना का क्रियान्वयन।	कृषि
9	मण्डी परिषद के माध्यम से बुन्देलखण्ड में तिलहन आधारित खाद्य-प्रसंस्करण परियोजना का संचालन।	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
10	गन्ने के बीज की उन्नत प्रजातियों का विकास तथा बीज उत्पादन कर किसानों को उपलब्ध कराया जाना, जिससे गन्ने की खेती की उत्पादकता में वृद्धि हो।	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
11	गैर लाईसेन्स 16 जिला सहकारी बैंकों का रिवाइवल/ लाइसेन्सीकरण किया जाना।	सहकारिता
12	उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति-2013 का प्रभावी कार्यान्वयन।	पशुधन
13	कामधेनु, मिनी कामधेनु एवं माईक्रो कामधेनु योजना का संचालन।	पशुधन
14	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा व बाबूगढ़ द्वारा 25-25 लाख वीर्य स्ट्रा उत्पादन किया जाना।	पशुधन
15	उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड के अवशेष 05 जनपदों में अन्ना प्रथा उन्मूलन योजना का क्रियान्वयन।	पशुधन
16	प्रदेश के अवशेष 774 विकास खण्डों में सचल पशुचिकित्सा एवं कृतिम गर्भाधान इकाईयों की स्थापना करते हुए पशु मित्रों के सहयोग से गो एवं	पशुधन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

	महिषवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की वर्तमान 78 लाख की संख्या को बढ़ाते हुये 125 लाख किया जाना।	
17	प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 (पी0सी0डी0एफ0) का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवीकरण किया जाना।	दुग्ध विकास
18	जनपद लखनऊ के विभूति खण्ड, गोमतीनगर (वेव सिनेमा हाल के बगल में) स्थित पराग केन्द्र का निर्माण किया जाना।	दुग्ध विकास
19	उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का प्रभावी कार्यान्वयन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
20	मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
21	बुंदेलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
22	मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाया जाना।	मत्स्य
23	पश्चिमी उ0प्र0 में क्लाईमेट स्मार्ट क्राप डाईवर्सीफिकेशन योजना का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना।	समन्वय
24	I- स्पर्श योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	समन्वय
25	बहराईच, श्रावस्ती और बलरामपुर जनपदों में रेशम विकास योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	रेशम विकास
उद्योग, अवस्थापना एवं लोक निर्माण क्षेत्र		
26	क-आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन। ख-लखनऊ से बलिया तक (वाया आजमगढ़) प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
27	क- दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कारीडोर (डीएमआईसी) परियोजना को क्रियाशील किया जाना। ख-अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना (एकेआईसी) निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाना तथा कारीडोर के आसपास औद्योगिक तथा शहरी गतिविधियों को विकसित किये जाने हेतु योजना बनाया जाना।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
28	क- उन्नाव में ट्रांसगंगा परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन। ख- नैनी, इलाहाबाद में सरस्वती हाईटेक सिटी का विकास।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
29	जनपद औरैया में प्लास्टिक सिटी परियोजना का कार्यान्वयन तथा उद्योगों की स्थापना किया जाना।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
30	औद्योगिक क्षेत्र रामनगर (वाराणसी), अमौसी (लखनऊ) तथा सूरजपुर	अवस्थापना एवं

http://shasanadesh.up.nic.in

	(गौतमबुद्ध नगर) एवं साहिबाबाद (गाजियाबाद) को नवीन शो-केस इण्डस्ट्रियल माडल के रूप में विकसित किया जाना।	औद्योगिक विकास
31	प्रदेश में रू0 50 करोड़ अथवा उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाले उद्यमियों की सुविधा हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था लागू किया जाना।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
32	संघ की 9 कताई मिलों को यूजर चार्जेज पर चलाया जाना।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
33	ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
34	एम0एस0एम0ई0 पोर्टल को विकसित/कार्यान्वित किया जाना।	लघु उद्योग
35	केन्द्रीयकृत रेट कान्ट्रेक्ट व्यवस्था को लागू किया जाना।	लघु उद्योग
36	उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन (यू0पी0आई0डी0) को क्राफ्ट डिजाइन शैक्षिक संस्थान के रूप में विकसित किया जाना।	लघु उद्योग
37	प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार गारंटी योजना लागू किया जाना।	लघु उद्योग
38	समस्त जिला मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़ा जाना।	लोक निर्माण
39	क-अधूरे सेतुओं को पूर्ण किया जाना। ख-अधूरे रेल उपरिगामी सेतुओं को पूर्ण किया जाना।	लोक निर्माण
40	प्रदेश में कोर रोड नेटवर्क का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं चक्रानुसार मरम्मत किया जाना।	लोक निर्माण
41	साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाना।	लोक निर्माण
42	प्रदेश के ग्रामीण मार्गों का नवीनीकरण एवं मरम्मत किया जाना।	लोक निर्माण
43	इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अन्तगत निर्माण कार्यो का समयबद्ध कार्यान्वयन।	लोक निर्माण
44	प्रदेश के राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग का नवीनीकरण एवं मरम्मत किया जाना।	लोक निर्माण
45	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा यमुना एक्सप्रेसवे में कुल तीन इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ईएमसी) की स्थापना किया जाना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स
46	जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों पर ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से शासकीय सेवाओं में वृद्धि किया जाना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स
47	आईटी सिटी लखनऊ की स्थापना किया जाना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स
48	गोरखपुर, कानपुर एवं लखनऊ में आई0टी0 पार्क की स्वीकृति प्राप्त किया	सूचना प्रौद्योगिकी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

	जाना।	एवं इलेक्ट्रानिक्स
49	स्टेट डाटा सेन्टर की शत-प्रतिशत क्षमता बढाया जाना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स
50	दो ग्राम पंचायतों के मध्य एक जन सेवा केन्द्र की स्थापना किया जाना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स
51	Start-up- policy का प्रभावी कार्यान्वयन।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स /औद्योगिक विकास
52	हेरिटेज आर्क योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास हेतु क- मुगल म्यूजियम की स्थापना ख- ताज ओरियन्टेशन सेन्टर की स्थापना ग- ताजगंज योजना घ- लखनऊ एवं सारनाथ (वाराणसी) में ध्वनि एवं प्रकाश योजना ड़- आगरा, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, चित्रकूट एवं वृन्दावन इत्यादि स्थलों पर ऐतिहासिक स्मारकों का आलोकीकरण च- हेरिटेज आर्क के अन्तर्गत पब्लिसिटी, मार्केटिंग एवं डिजिटल ब्रान्डिग के माध्यम से पर्यटक स्थलों का प्रचार प्रसार एवं आनलाइन बुकिंग वेब सोशल मीडिया एवं एप इत्यादि के माध्यम से पर्यटन स्थलों की ब्रान्डिग एवं प्रमोशन किया जाना।	पर्यटन
53	पर्यटक आवास गृहों /इकाइयों का डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट तथा मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से संचालित एवं विकसित किया जाना।	पर्यटन
54	पर्यटन विकास एवं पर्यटन उत्पादों के विपणन हेतु स्थानीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेले महोत्सव एवं सेमिनार का आयोजन एवं भागेदारी किया जाना।	पर्यटन
55	क-छतर मंजिल परिसर, लखनऊ का पर्यटन एवं सांस्कृतिक संकुल के रूप में विकास किया जाना। ख-नवनिर्मित राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, कन्नौज का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा विज्ञान संग्रहालय, बाल संग्रहालय/ चिल्डेन पार्क की स्थापना किया जाना।	संस्कृति
56	पावरलूम विकास योजना (सामान्य) को लागू किया जाना।	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

57	हथकरघा बुनकर के लिए पेंशन योजना को लागू किया जाना।	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
ऊर्जा क्षेत्र		
58	अक्टूबर, 2016 से जनपद मुख्यालयों को न्यूनतम 22 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों को न्यूनतम 16 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना।	ऊर्जा
59	ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टे के अन्दर क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जाना।	ऊर्जा
60	प्रदेश में वर्ष 2019 से 24 घन्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु निम्न तापीय विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण करके मौके पर भूमि का कब्जा दिलाकर कार्य प्रारम्भ किया जाना- क- हरदुआगंज 1X660 मेगावाट ख- जवाहरपुर 2 X660 मेगावाट ग- करछना 2 X660 मेगावाट घ- पनकी 1 X660 मेगावाट ड़- ओबरा 'सी' 2 X660 मेगावाट च- घाटमपुर 3 X660 मेगावाट ऊर्जा	
61	मेजा तापीय परियोजना की दोनो इकाईयों से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जाना।	ऊर्जा
62	बारा तापीय परियोजना की तीनों इकाईयों से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जाना।	ऊर्जा
63	क-पी0पी0पी0 आधार पर चलायी जा रही इलाहाबाद-मैनपुरी एवं मैनपुरी-ग्रेटर नोएडा पारेषण परियोजनाओं को पूर्ण करके क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाना। ख-ललितपुर तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी हेतु निर्माणाधीन पारेषण परियोजना को पूर्ण करके क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाना।	ऊर्जा
64	प्रदेश के विद्युत गृहों के वित्तीय वर्ष में कम से कम 03 प्रतिशत पी0एल0एफ0 को बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनाकर उसका समयबद्ध कार्यान्वयन कराया जाना।	ऊर्जा
65	ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर की प्रणाली को विकसित करने हेतु दीन दयाल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का आवंटन एवं कार्य को प्रारम्भ किया जाना।	ऊर्जा
66	क-उ0प्र0 सौर्य ऊर्जा नीति-2013 का प्रभावी कार्यान्वयन। ख-रूफटाप सोलर पालिसी का प्रभावी कार्यान्वयन।	अतिरिक्त ऊर्जा

http://shasanadesh.up.nic.in

67	क-ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए सब्सिडाइज्ड सोलर पैक की व्यवस्था किया जाना, जिससे बत्ती-पंखा के साथ-साथ कुछ अन्य घरेलू उपकरण भी चल सकें। ख-ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक 08 स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था किया जाना।	अतिरिक्त ऊर्जा
68	नेडा का सुदृढ़ीकरण किया जाना।	अतिरिक्त ऊर्जा
69	चयनित ग्रामों में सौर्य ऊर्जा आधारित मिनी ग्रिड योजना को क्रियान्वित कराया जाना।	अतिरिक्त ऊर्जा
70	क-प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आर0ओ0 वाटर हेतु 1 किलोवाट के सोलर फोटोवोल्टाईक संयंत्र की स्थापना किया जाना। ख-ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परम्परागत ऊर्जा को प्रोत्साहन (ऊर्जा संरक्षण के उपायों को लागू करने का कार्य) प्रदान किया जाना।	अतिरिक्त ऊर्जा
मानव संसाधन विकास क्षेत्र		
71	उच्च शिक्षण संस्थाओं की एन0ए0ए0सी0 से मूल्यांकन कराकर उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाना।	उच्च शिक्षा
72	लखनऊ एवं झांसी विश्वविद्यालयों की एन0ए0ए0सी0 रैंकिंग के अन्तर्गत ग्रेड बी से ग्रेड ए के स्तर पर उच्चीकृत किया जाना।	उच्च शिक्षा
73	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कर शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	उच्च शिक्षा
74	प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए ई-लाईब्रेरी,लाइब्रेरी में Wi-Fi एवं आनलाईन जरनल की व्यवस्था किया जाना ताकि छात्रों एवं अध्यापकों को रिसर्च करने की सुविधा प्राप्त हो सके।	उच्च शिक्षा
75	इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं के लिए संशोधित पुनर्गठित कन्या विद्याधन योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	माध्यमिक शिक्षा
76	बालिका छात्रावासों का निर्माण किया जाना।	माध्यमिक शिक्षा
77	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कर शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	माध्यमिक शिक्षा
78	पी0पी0पी0 मोड पर माडल स्कूलों का संचालन किया जाना।	माध्यमिक शिक्षा
79	18 मण्डल मुख्यालयों पर अभिनव विद्यालयों की स्थापना किया जाना।	माध्यमिक शिक्षा
80	शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु मूल्यांकन एवं अनुश्रवण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत- क- शिक्षकों की उपलब्धता एवं अध्यापक छात्र अनुपात ख- विद्यालय निरीक्षण	बेसिक शिक्षा

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

	ग- सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण घ- विद्यालयों का श्रेणीकरण ड़- छात्र छात्राओं के उपलब्धि स्तर हेतु राज्य स्तरीय सर्वेक्षण किया जाना।	
81	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अन्तर्गत अपूर्ण विद्यालयों को पूर्ण कराकर जनोपयोगी बनाया जाना तथा बालिकाओं का नामांकन किया जाना।	बेसिक शिक्षा
82	समाजवादी पौष्टिक आहार योजना	बेसिक शिक्षा
83	उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाना।	बेसिक शिक्षा
84	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रदेश के पांच लाख युवाओं को रोजगारपरक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।	व्यावसायिक शिक्षा
85	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता में मांगपरक विस्तार एवं परिमेयकरण करते हुये आगामी दो वर्षों में 25 हजार सीटों की वृद्धि किया जाना।	व्यावसायिक शिक्षा
86	प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार अनुदेशक के रूप में कार्य करने के इच्छुक युवाओं के प्रशिक्षण एवं पूर्व से कार्यरत् अनुदेशकों की क्षमता वृद्धि हेतु एक नये शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाना।	व्यावसायिक शिक्षा
87	डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में स्थापित किया जाना- क-डा0 कलाम की स्मृति में स्मारक एवं पुस्तकालय की स्थापना। ख-सेन्टर फार एडवांस स्टडीज की स्थापना करना तथा परास्नातक एवं शोध कार्यक्रम प्रारम्भ करना। ग-डिजाइन इंस्टीट्यूट, नोयडा में शैक्षिक कार्य प्रारम्भ करना। घ-सिंचाई विभाग के सहयोग से रिवर मैनेजमेन्ट एकेडमी की स्थापना। ङः-डिग्री कालेजों की सम्बद्वता प्रणाली को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाना। च-फैकल्टी डेवलपमेन्ट एवं पाठ्यक्रम परिवर्धन। छ-परीक्षा प्रणाली में सुधार। ज-शिक्षा में तकनीक का उपयोग, जैसे वर्चुअल क्लास की स्थापना, ई-लेक्चर्स का अधिकाधिक उपयोग, राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों को वाई-फाई करना आदि।	प्राविधिक शिक्षा
88	हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय का सुचारू संचालन एवं शैक्षिक सत्र 2016-17 से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम आरम्भ करना तथा एक अंतराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाना।	प्राविधिक शिक्षा

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

89	कौशल विकास के अन्तर्गत- क-स्किल्स इंस्टीट्यूट के अन्तर्गत शैक्षिक सेवाओं के निर्यात, लघु उद्योग, हैण्डीक्राफ्ट तथा स्वास्थ्य सेवा, व्यक्तिव विकास (फिनिशिंग स्कूल) आदि क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना। ख-हथकरघा बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों हेतु उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान एवं निफ्ट के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करना तथा लघु उद्योग विभाग के सहयोग से ई-बाजार एवं विपणन की व्यवस्था किया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
90	इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना के अन्तर्गत- क- जनपद- आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज, सोनभद्र में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर शैक्षिक सत्र 2016-17 से कक्षाओं का संचालन नवीन भवन/परिसर में प्रारम्भ किया जाना। ख- मिर्जापुर में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना। ग-गोण्डा एवं बस्ती में कालेजों का निर्माण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करके शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु तैयारी प्रारभ किया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
91	क-20 नवीन पालीटेक्निक संस्थाएं आरम्भ किया जाना। ख-सक्षम बालिका-सम्पन्न परिवार योजना आरम्भ किया जाना। ग-पाठ्यक्रम पुनरीक्षण किया जाना। घ-नये पाठ्यक्रम आरम्भ करना एवं अनुपयोगी पाठ्यक्रम बन्द किया जाना। ङः-परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना। च-महिला छात्रावासों के निर्माण को प्राथमिकता से किया जाना। छ-शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जैसे सभी राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निकों में वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना, उद्यमिता विकास, कम्युनिकेशन स्किल्स आदि कार्यक्रम चलाना, ई-लेक्चर्स तैयार करके अपलोड करना, फैकल्टी डेवलपमेन्ट किया जाना।	प्राविधिक शिक्षा
92	क-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के अधीन जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय कैम्पस की स्थापना किया जाना। ख-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय कैम्पस की स्थापना किया जाना। ग-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के अन्तर्गत जनपद गोण्डा	कृषि शिक्षा

http://shasanadesh.up.nic.in

	में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) का निर्माण किया जाना।	
93	प्रदेश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों के मुख्य परिसर में संचालित कृषि महाविद्यालय का एक्रेडिटेशन (प्रयोगशाला सहित) आई0सी0ए0आर0 से कराया जाना।	कृषि शिक्षा
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र		
94	क-चिन्हित 50 महिला चिकित्सालयों में 100 बेड मैटरनिटी विंग का निर्माण किया जाना। ख-चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 50 बेड मैटरनिटी विंग का निर्माण किया जाना। ग-लखनऊ तथा 05 अन्य चिन्हित जनपदों में 200 बेड के मातृ एवं शिशु चिकित्सालयों का निर्माण किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
95	वर्ष 2012 से पूर्व एवं वर्ष 2012 के पश्चात निर्माणाधीन जिला चिकित्सालयों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
96	क-निजी सहभागिता से चक गंजरिया में सुपर स्पेशियलटी अस्पताल की स्थापना किया जाना। ख-100 शैय्या मैटरनिटी विंग की 50 इकाईयों की निजी सहभागिता से क्रियाशील किया जाना। ग-एम0एम0यू0 (मोबईल मेडिकल यूनिट्स) की निजी सहभागिता से क्रियाशील किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
97	स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख इंडिकेटरों में सुधार लानाः- क-संस्थागत प्रसव में 05 प्रतिशत की वृद्धि। ख-पूर्ण प्रतिरक्षण में 05 प्रतिशत की वृद्धि। ग-आधुनिक गर्भ निरोधक तकनीकों/विधियों के प्रयोग में 10 प्रतिशत की वृद्धि।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
98	Uttar Pradesh Drugs & Pharmaceuticals Co. Ltd का आधुनिकीकरण कर इस तरह विकसित किया जाना जिससे वह स्वयं प्रदेश के सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों को दवायें सप्लायी कर सकें।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
99	मण्डलीय मुख्यालयों पर डायलिसिस केन्द्रों की स्थापना किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
100	जनपदीय चिकित्सालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

http://shasanadesh.up.nic.in

101	प्रदेश में समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
102	प्रदेश हेतु नवीन जनसंख्या नीति (2016-30) निर्धारित करते हुए लागू किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
103	प्रदेश में पी0पी0पी0 सहभागिता पर काल सेण्टर आधारित शव वाहन सेवा संचालित किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
104	प्रदेश के पैरामेडिकल शिक्षा के नियामक व्यवस्था को अधिक सरल एवं सुदृढ़ किया जाना।	चिकित्सा शिक्षा
105	कैंसर के उपचार हेतु लखनऊ में एक उच्च स्तरीय संस्थान की स्थापना किया जाना।	चिकित्सा शिक्षा
106	ग्रेटर नोएडा में सुपर-स्पेशियलटी अस्पताल से युक्त चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना।	चिकित्सा शिक्षा
107	सभी नए मेडिकल कालेजों का पूर्ण संचालन किया जाना।	चिकित्सा शिक्षा
108	राज्य पोषण मिशन। क-गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया (हीमोग्लोबीन 7 प्रतिशत से कम) के वर्तमान स्तर में 50 प्रतिशत, सामान्य एनीमिया (हीमोग्लोबीन 11 प्रतिशत से कम) के वर्तमान स्तर में 10 प्रतिशत की कमी लाना तथा किशोरियों में एनीमिया (हीमोग्लोबीन 11 प्रतिशत) को 49 प्रतिशत से कम करके 39 प्रतिशत पर लाया जाना। ख-वजन दिवस के अभियान के उपरान्त चिन्हित किये गये लाल श्रेणी के कुपोषित बच्चों की श्रेणी में परिवर्तन लाया जाना। ग-प्रदेश में सभी गोद ली गयी ग्राम सभाओं में यथासम्भव शत-प्रतिशत शौचालयों का निर्माण कराया जाना।	बाल विकास एवं पुष्टाहार
109	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं एन0ए0बी0एल0 एक्रीडिटेशन कराया जाना।	खाद्य एवं औषधि प्रशासन
सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम क्षेत्र		
110	समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों को शिक्षा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य से संबंधित चिन्हित सुविधाओं को बेसिक शिक्षा तथा चिकित्सा एंवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जाना।	समाज कल्याण
111	प्रदेश में संचालित समस्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का नवोदय	समाज कल्याण

http://shasanadesh.up.nic.in

	विद्यालय के पैटर्न पर संचालन कर लगभग 40 हजार गरीब बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराया जाना।	
112	प्रदेश के लगभग 1.75 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ उत्तर प्रदेश वरिष्ठ नागरिक नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।	समाज कल्याण
113	प्रदेश के समस्त जनपदों में शिविर लगाकर पोलियोग्रस्त सभी बच्चों को चिन्हित कर उनकी सर्जरी कराकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाना।	विकलांग कल्याण
114	विकलांग जन विकास विभाग द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक विशेष शिक्षा प्रदान किया जाना।	विकलांग कल्याण
115	प्रदेश के सभी जनपदों में आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना किया जाना।	महिला कल्याण
116	मण्डल स्तरीय जनपदों में स्थापित बाल गृहों/संरक्षण गृहों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्हें माडल होम के रूप में विकसित किया जाना।	महिला कल्याण
117	राजकीय महिला शरणालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाना।	महिला कल्याण
118	राज्य भण्डारण नीति का निर्धारण कर वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता को सृजित किया जाना।	खाद्य एवं रसद
119	प्रदेश के 25 जनपदों के कम से कम एक नगरीय क्षेत्र की समस्त उचित दर दुकानों में पी0ओ0एस0 (प्वांईट आफ सेल) मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कराया जाना।	खाद्य एवं रसद
120	क-कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन। ख-आम आदमी बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	राजस्व
121	प्रदेश की तहसीलों की भौतिक अवस्थापनाओं को आमजन के हिसाब से बेहतर किया जाना।	राजस्व
122	प्रदेश के समस्त लेखपालों को ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत टेबलेट दिया जाना।	राजस्व
123	क-चकबन्दी न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना। ख-धारा-52 के अन्तर्गत 150 ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण किया जाना। ग-भू-मानचित्र (शजरा) का डिजिटाइजेशन एवं कम्प्यूटराइजेशन किया जाना।	राजस्व
124	नवसृजित जनपदों एवं तहसीलों में सभी विभागों के पदों का सृजन एवं तैनाती तथा अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना।	राजस्व
125	राजस्व वादों का शीध्र निस्तारण/कमी करने के लिए विभिन्न राजस्व विधि प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाना।	राजस्व
126	निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाना, निर्माण संस्थाओं पर सेस आरोपित कर संग्रहित किया जाना तथा उसे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की	श्रम

http://shasanadesh.up.nic.in

	कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाना।	
127	07 श्रम अधिनियमों में आनलाइन पंजीयन व नवीनीकरण की कार्यवाही किया जाना।	श्रम
128	क-प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु रोजगार मेला आयोजित किया जाना। ख-बेरोजगार अभ्यार्थियों को रोजगार अवसरों के चयन हेतु कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से जागरूक बनाया जाना।	श्रम
129	क-बंधुआ श्रमिकों का चिन्हाकन एवं उन्हें अवमुक्त कराकर पुनर्वासित किया जाना। ख-बाल श्रमिकों का चिन्हाकन एवं उनके पुनर्वासन की कार्यवाही किया जाना।	श्रम
130	असंगठित क्षेत्र में नियोजित कर्मकारों का पंजीयन किया जाना।	श्रम
ग्राम्य विकास क्षेत्र		
131	ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत- क-हैण्डपम्प एवं पाइप वाटर पेयजल योजना। ख-गुणता प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पेयजल योजना। ग-बुन्देलखण्ड एवं विध्यांचल में जलाशय आधारित पेयजल योजना। घ-समाजवादी शुद्ध पेयजल सेवा योजना (वाटर ए0टी0एम0)।	ग्राम्य विकास
132	लोहिया ग्रामीण आवास योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	ग्राम्य विकास
133	चन्द्रावल, लखेरी एवं सेंगर नदी का पुनरोद्धार किया जाना।	ग्राम्य विकास
134	मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान।	ग्राम्य विकास
135	डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना।	समग्र ग्राम विकास
136	क-नवीन मण्डियों की स्थापना। ख-किसान बाजार का विकास।	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
137	जनेश्वर मिश्र ग्रामों का विकास	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
नगर विकास एवं नगरीय गरीबी उन्मूलन क्षेत्र		
138	क-लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण किया जाना। ख-लखनऊ में जय प्रकाश नारायण इन्टरनेशनल कन्वेशन सेन्टर का	आवास एवं शहरी नियोजन

http://shasanadesh.up.nic.in

	निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण किया जाना। ग-लखनऊ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम एवं क्रीडा संकुल का निर्माण किया जाना।	
139	लखनऊ, कानपुर एवं वाराणसी में मेट्रो रेल परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	आवास एवं शहरी नियोजन
140	चक गंजरिया फार्म की भूमि पर सी0जी0 सिटी तथा अन्य योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।	आवास एवं शहरी नियोजन
141	इनर रिंग रोड आगरा का निर्माण किया जाना।	आवास एवं शहरी नियोजन
142	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	आवास एवं शहरी नियोजन
143	पुराने लखनऊ के सौन्दर्यीकरण से सम्बन्धित निर्माण कार्य किया जाना।	आवास एवं शहरी नियोजन
144	लखनऊ गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में लखनऊ शान-ए-अवध का निर्माण किया जाना।	आवास एवं शहरी नियोजन
145	आगरा में फतेहाबाद रोड पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के रोड साईड कैफे स्ट्रीट का निर्माण किया जाना।	आवास एवं शहरी नियोजन
146	माडल सिटी की योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	आवास एवं शहरी नियोजन
147	आगरा पेयजलापूर्ति (वाह्य सहायतित) परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	नगर विकास
148	गोमती नदी के चैनलाइजेशन की परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	सिंचाई
पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन क्षेत्र		
149	उ0प्र0 में हिन्दू विवाह पंजीकरण नियमावली को प्रख्यापित किया जाना तथा समस्त प्रदेश हिन्दू विवाह पंजीकरण की आनलाइन प्रणाली को क्रियान्वित किया जाना।	कर एवं निबन्धन (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन)
150	ईज आफ डूइंग बिजिनेस के परिप्रेक्ष्य में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की जनोपयोगी सुविधाओं का आधुनिकीकरण किए जाने के अन्तर्गत- क-उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत विगत 15 वर्ष के अभिलेखों की इन्डैक्सिंग या स्कैनिंग करते हुए जनसामान्य के उपयोगार्थ उक्त अभिलेखों को आन लाइन उपलब्ध कराया जाना। ख-प्रदेश के अधिक राजस्व अर्जित करने वाले महत्वपूर्ण 25 कार्यालयों को माडल कार्यालय के रूप में विकसित किया जाना। ग-स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क को जनसामान्य के लिए कोषागार के माध्यम से आनलाइन भुगतान की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना।	कर एवं निबन्धन (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन)

http://shasanadesh.up.nic.in

	घ-प्रदेश के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था का क्रियान्वयन किया जाना।	
151	क- सचिवालय मे व्यवहृत की जाने वाली पत्रावलियों पर बारकोडिंग करते हुए फाइल ट्रैकिंग व्यवस्था का प्रभावी कार्यान्वयन। ख-उ0प्र0 सचिवालय के विभिन्न भवनों में आपदा की स्थिति में नष्ट होने वाले अभिलेखें/पत्रावलियों को पुनर्जीवित किये जाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पत्रावलियों/अभिलेखों का डिजिटाइजेशन कराया जाना। ग-उ0प्र0 सचिवालय के अनुभागों/विभागों के बीच कार्य बटवारा अद्यतन किया जाना।	सचिवालय प्रशासन
152	प्रदेश व्यापी डायल 100 सेवा की स्थापना/सुदृढ़ीकरण किया जाना।	गृह
153	कांस्टेबल के रिक्त पदों को भरा जाना।	गृह
154	राज्य इनोवेशन फण्ड के माध्यम से असंगठित क्षेत्र व सुशासन के क्षेत्र में इनोवेशन परियोजनाओं की स्वीकृति तथा क्रियान्वयन का प्रभावी अनुश्रवण किया जाना।	नियोजन
155	जन-समुदाय/हित धारकों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों की गुणवत्ता जांचने हेतु स्वतंत्र एजेन्सियों का पैनल बनाया जाना।	नियोजन
156	विभिन्न विभागों की परियोजनाओं (लोक निर्माण विभाग को छोड़कर), जिनकी लागत रू0 10.00 करोड़ से अधिक हो का प्रभावी अनुश्रवण किया जाना।	नियोजन
157	क-आधार कार्ड हेतु नामांकन तथा चयनित केन्द्र पोषित योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटलाइजेशन तथा आधार कार्ड के साथ लिंकेज का प्रभावी अनुश्रवण किया जाना। ख-एन0पी0आर0 का प्रभावी अनुश्रवण किया जाना।	नियोजन
158	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं।	समस्त विभाग
159	जैव प्रौद्योगिकी नीति-2014 का प्रभावी कार्यान्वयन- क-एक बायोसेन्टर एवं बायोटेक पार्क की स्थापना किया जाना। ख-एक बायोडिजाइन सेन्टर की स्थापना किया जाना।	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
160	प्रदेश के जनमानस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अभिवृद्धि करने एवं विज्ञान के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करने और नव प्रवर्तन की गतिविधियों का प्रभावी कार्यान्वयन- क-लखनऊ स्थित इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला का आधुनिकीकरण हेतु आधुनिक डिजिटल अथवा हाइब्रिड तकनीक पर आधारित नये उपकरणों की स्थापना किया जाना।	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

http://shasanadesh.up.nic.in

	ख-राज्य में 02 क्षेत्रीय विज्ञान नगरी की स्थापना किया जाना, जिसमें कार्यशील विज्ञान माडल, विज्ञान प्रदर्श, विज्ञान म्यूजियम एवं थ्री-डी थिएटर इत्यादि सम्मिलित होंगे। ग-प्रदेश में विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि बढ़ाने के लिए एक राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्ति प्रतियागिता का प्रारम्भ किया जाना।	
161	प्रदेश में स्मार्ट कार्ड आधारित वाहनों के पंजीकरण की व्यवस्था लागू किया जाना।	परिवहन
162	सड़क सुरक्षा नीति का परिवहन, गृह, लोक निर्माण एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के समन्वय से प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना।	परिवहन
163	क-आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना किया जाना। ख-ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया जाना। ग-फिटनेस पिट का निर्माण किया जाना।	परिवहन
164	लोहिया ग्रामीण सेवा के अन्तर्गत बसों का संचालन किया जाना।	परिवहन
165	बस स्टेशनों का उच्चीकरण किया जाना।	परिवहन
166	क-इटावा में लायन सफारी के अन्तर्गत विजिटर फैसिलिटेशन सेन्टर का निर्माण किया जाना। (द्वितीय फेज) ख-इटावा में लायन सफारी के अन्तर्गत अन्य सफारी पार्क की स्थापना किया जाना।	वन
167	डेवलपमेन्ट आफ वाइल्ड लाइफ डेस्टीनेशन का प्रभावी कार्यान्वयन।	वन
168	वित्तीय वर्ष में 06 करोड़ पौधों का रोपण किया जाना तथा गत वर्ष रोपित 05 करोड़ पौधों का रख-रखाव किया जाना।	वन
169	उत्तर प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु समग्र नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।	लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल
170	अयोध्या व चित्रकूट धाम में भजन संध्या स्थल का निर्माण किया जाना।	धर्मार्थ कार्य
171	प्रदेश के सभी जनपदों में प्रमुख सर्वधर्म धार्मिक मेला/उत्सव स्थलों पर पर्यटकों/श्रद्धालुओं के लिये बुनियादी सेवाओं का विकास किया जाना।	धर्मार्थ कार्य
172	राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान जनपद रायबरेली के सहयोग से खादी को प्रीमियम ब्राण्ड की तरह विकसित किया जाना तथा खादी के शोध, डिजाइनिंग, मानकीकरण, मार्केटिंग एवं व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना।	खादी एवं ग्रामोद्योग
173	जनोपयोगी रिक्त पदों को भरा जाना।	कार्मिक

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है